बिहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि ६ दिसम्बर, १९६५।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि ६ दिसम्बर, १९६५ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के दशम् सत्र (जुलाई-अगस्त १९६५) के शेष ८७० तारांकित प्रश्नों में से ९१ प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध आवेदन-पत्र।

१। श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध में आवेदन-पत्र श्री लक्ष्मीनारायण ने तारीख १३ अक्तूबर १९६४ को मुख्य मंत्री, कमिश्नर, तिरहुत प्रमंडल और जिलाधिकारी, दरभंगा के पास भेजा था; यदि हां, तो सरकार ने इस पर कौन-सी कार्रवाई अबतक की है; यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री नवल किशोर सिंह—उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध श्री लक्ष्मीनारायण के दिनांक १३ अक्तूबर, १९६४ को आवेदन-पत्र पर जिला दंडाधिकारी, दरभंगा से एक प्रतिवेदन आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल द्वारा मांगी गयी है। अभी प्रतिवेदन नहीं आया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

*श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—कब रिपोर्ट मांगी गयी थी?

श्री नवल किशोर सिंह—मार्च, १९६५ में।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—प्रश्न पूछने के बाद या पहले?

श्री नवल किशोर सिंह—प्रश्न पूछने के पहले, लेकिन उत्तर आने में विलम्ब जरूर हुआ है।

(२) उक्त मुकदमा अभी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराया जा रहा है। मुकदमा का फैसला हो जाने पर आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जायगी। तबतक श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा को सरकारी खाद्यान्न की आपूर्त्ति बन्द कर दी गयी है।

चीनी की आपूर्त्ति।

४१६। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि ताजपुर बाजार के मिष्टान्न एवं चाय बिक्रेताओं को प्रारम्भ में पाक्षिक एवं बाद में मासिक चीनी का कोटा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोरवा द्वारा निर्धारित था, यदि हां, तो क्या पांच माह पूर्व तक उन्हें यह नियमित रूप से मिला करता था;

(२) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ने ताजपुर बाजार के उक्त दूकानदारों को पांच महीने से चीनी क्यों नहीं दी और अब नियमित रूप से चीनी देने के लिए कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है ?

श्री मुंगेरी लाल—(१) प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है। इन्हें कोई पाक्षिक अथवा मासिक कोटा निर्धारित नहीं था, बल्कि चीनी का आवंटन जब प्राप्त होता था तभी, चाहे वह १५ दिन पर हो या एक महीना पर हो, हलवाइयों तथा चाय बिक्रेताओं को उचित अनुपात में चीनी दिया जाता था और दिया जाता है।

(२) प्रथम खंड के उत्तर के समक्ष यह कहना सही नहीं है कि ताजपुर बाजार के दूकानदारों को पांच महीने से चीनी नहीं दी गयी। इन्हें नियमित रूप से चीनी की आपूर्त्ति के लिए अनुमंडलाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोरवा को समुचित आदेश दिया जा रहा है।

राज्य में सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या।

४२३। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कुल कितने सस्ते गल्ले की दूकानें हैं तथा कितने का लाइसेन्स शिकायत मिलने पर रद्द किया गया है ?

श्री मुंगेरी लाल—राज्य में कुल सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या १७,८९२ है। शिकायत मिलने पर कुल ५७८ लाइसेन्स रद्द किये गये हैं।